तारीख हुक्म	हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
30.08.2024	पत्रावली आज प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में पूर्व में वकील वादी द्वारा दिनांक 20.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम इस आशय का पेश किया था कि वादी भूरया पुत्र देवा का दिनांक 07.03.2015 को देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले व्यक्ति है, जिनको कानूनी नोईयत की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय पर कार्यवाही नहीं कर सके है। प्रार्थीगण मृतक रामदयाल के निम्नलिखित वारिसान है– 1. रामधन पुत्र भूरया 2. सुरेश पुत्र भूरया 3. दामोदर पुत्र भूरया 4. पाना पत्नि भूरया 5. सुमित्रा पुत्री भूरया समस्त जातियान रेगर, निवासीयान भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा। उक्त वादीगण के अलावा मृतक भूरया के और कोई वारिसान नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगणों को मृतक भूरया के स्थान पर कायम मुकाम बनाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा कानूनी जानकारी के अभाव में देरी होना बताकर देरी माफ करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र भी दायर किया है। पत्रावली में वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पूर्व में दिनांक 17.01.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति वकील उभयपक्षों के पास उपलब्ध है, परन्तु पत्रावली में उक्त जवाब संलग्न नहीं है। इस संबंध में वकील प्रतिवादी संख्या 2 से जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त की गई, जिस पर वकील उभयपक्षों में अनापत्ति जाहिर की है। उक्त जवाब की प्रति के अनुसार प्रकरण में वादी की मृत्यु दिनांक 07.03.2015 को होना बताया है, जो कि लगभग 6 वर्ष देरी से पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र में तथा दफा 5 प्रार्थना पत्र में भी देरी का कोई ठोस युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया है। मात्र ग्रामीण परिवेश के रहने वाले तथा कानून की जानकारी नहीं होना कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। वादी भूरया के पुत्र रामधन उक्त मुकदमें में बराबर पेशी पर आता जाता रहा है। इसलिये प्रार्थीगणों को कानून की जानकारी नहीं होना मात्र कल्पित कारण दर्शित किया गया है। इसलिये कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर समय पर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर अहम भूल की है, जबकि मृतक भूरया के पुत्र द्वारा बराबर तारीख पेशी पर आकर पैरवी की जाती रही है। उक्त प्रकरण में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 6 वर्ष बाद पेश किये जाने के कारण दावा अबेट हो जाने से दावा खारिज किये जाने योग्य है। बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित बिन्दुओं का दोहरान किया। मेने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी की मृत्यु 06.08.2017 को हुई है, एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2022 को पेश किया गया है, जो कि मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद पेश किया गया है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मृतक वादी के विधिक वारिसानों को पार्टी बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दायर करने की अधिकतम समय सीमा मृत्यु से 90 दिवस तक ही है। वकील वादी द्वारा कानून की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना अवगत कराया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। वकील वादी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई ठोस, तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट [illegible] धारा 5 के त[illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप कायम मुकाम [illegible] भी स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी[illegible] धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कायम [illegible] जाता है। एकमात्र वादी की मृत्यु हो जाने के कारण एवं उसके वारिसान द्वारा [illegible]त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र खारिज होने के कारण दावा अबेट हो चुका है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested